

**राजस्थान सरकार**  
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**  
**(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)**

एफ. 27(316) ग्राविवि/ग्रुप-5/पीएमएवाई-जी/अभि./तक. अनु. समिति/2017-18

जयपुर, दि. 07 सितम्बर, 2017

**--:: बैठक कार्यवाही विवरण ::--**

विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक शासन सचिव, ग्रामीण विकास महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 05.09.2017 को आहुत की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

बैठक में महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मुख्य एजेण्डा बिन्दु एवं लिये गये निर्णय/निर्देश निम्नानुसार है :-

1. एलईडी लाईट से संबंधित तकनीकी विनिर्देशों पर गत बैठक दिनांक 08.08.2017 के निर्णयानुसार पंचायतीराज विभाग से प्राप्त तकनीकी विनिर्देशों पर चर्चा।

पंचायती राज विभाग द्वारा प्रेषित एलईडी लाईट से संबंधित संशोधित तकनीकी विनिर्देशों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। पंचायती राज विभाग से प्राप्त प्रस्तावित एलईडी लाईट से संबंधित संशोधित तकनीकी विनिर्देश के प्रारूप पर सभी जिलों के अधिशाषी अभियंताओं से बैठक में प्राप्त सुझावों पर विस्तार से चर्चा उपरान्त गांव की गलियाँ एवं सड़क की चौड़ाई के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में एलईडी लाईट व्यवस्था करने हेतु निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित करने का निर्णय लिया गया :-

**A. Assumption for installation of L.E.D. Light**


Assumptions	Unit	
Height of pole above ground	m.	7
Distance between poles is	m.	20
Illumination Level of Street Light(L)	lux/m <sup>2</sup>	6.5
Luminous Efficacy	lm/W	100
Lux Level (Eh)	Lux	1.2
Over hang/ Bracket	m	1

**B. Based on above assumptions, Following are the requirement of LED Lights**

S.No.		Scheme-1	Scheme-2	Scheme-3	Scheme-4
Road Width(W) upto	m	up to 6.0	6-8	8-10	10-12
Luminaire With Wattage	Watt	12	18	25	30
Lamp output (LL)	Lumen	1444	1685.0	2407.0	2889.0


बैठक में अध्यक्ष महोदय द्वारा गांवों की भौगोलिक स्थिति एवं वर्तमान विद्युत व्यवस्था के अनुरूप वास्तविक रूप से लगाये जाने वाले एलईडी लाईटों की व्यवस्था हेतु पंचायती राज विभाग के स्तर से विस्तृत व स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार कर जारी कराने बाबत अधीक्षण अभियंता, पंचायती राज को निर्देशित किया गया।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

  
(के. के. शर्मा)  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि राजस्थान, जयपुर।
- 2 विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
- 4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा।
- 5 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
- 6 निजी सचिव, निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू-संरक्षण. विभाग।
- 7 जिला कलेक्टर, समस्त, राजस्थान।
- 8 अति० निदेशक, ज.ग्र.वि. एवं भू-संरक्षण. विभाग।
- 9 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास विभाग।
- 10 अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गाँधी नरेगा।
- 11 अधीक्षण अभियन्ता (प्रो०), पंचायती राज विभाग।
- 12 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
- 13 अधिशाषी अभियन्ता (टीसी), पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 14 अधिशाषी अभियन्ता (अभि./ईजीएस) जिला परिषद, समस्त, राजस्थान।
- 15 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

  
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

परिशिष्ट-1

**शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक  
05.09.2017 में उपस्थित संभागियों का विवरण :-**

क.सं.	अधिकारी का नाम	पद
1	श्री के. के. शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास
2	श्री अरुण सुराना	अधीक्षण अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा
3	श्री मुकेश माहेश्वरी	अधीक्षण अभियन्ता, पंचायती राज विभाग
4	श्री बी.एस. पंवार	संयुक्त निदेशक, वाटरशेड
5	श्री अरविन्द सक्सेना	अधिशाषी अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा
6	श्री संजय शर्मा	अधिशाषी अभियन्ता (टीसी), पंचायतीराज विभाग
7	श्री लोकेश पूनिया	परियोजना अधिकारी (अभि.)
8	अधिशाषी अभियन्ता (अभि.) समस्त जिला परिषद (वीसी के माध्यम से)	
9	अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, समस्त जिला परिषद (वीसी के माध्यम से)	
10	श्रीमती राजश्री माथुर	सहायक अभियन्ता, पंचायतीराज विभाग